संख्या : 20/2019/बी-2-665/दस-2019-244(द्वितीय)/2019

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनाँक : 26 दिसम्बर, 2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 24 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 17 सन् 2019) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2- अतः वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनाँक 22 मार्च, 2019 के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें -

(1) वित्तीय वर्ष 2019-2020 की शेष अवधि में योजनाओं / परियोजनाओं पर दिनाँक 31 मार्च, 2020 तक व्यय / वास्तविक उपयोग की सीमा तक ही आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-80ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य सरकार की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । तद्नुसार निदेशित किया जाता है कि प्रशासकीय विभाग वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को आहरित कर पी.एल.ए. खातों में जमा किये जाने का प्रस्ताव नहीं करेंगे ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) अनुदान संख्या-83 से सम्बन्धित पुनर्विनियोग के प्रस्तावों पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनाँक 01 सितम्बर, 2018 में निहित व्यवस्थानुसार वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी ।

(4) केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 22 मार्च, 2019 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायें ।

(5) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2016/बी-2-1274/दस-2016-एम-46/2016, दिनाँक 29 अगस्त, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा प्रतिपूर्ति की धनराशि का नकद आहरण न कर पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्ष "8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि में विनियोजन" में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(6) परियोजनाओं पर व्यय हेतु कार्यदायी संस्थाओं को उतनी ही धनराशि स्वीकृत की जाये, जितनी दिनाँक 31 मार्च, 2020 तक परियोजनाओं पर व्यय होने की सम्भावना हो ।

(7) वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

3- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित अन्य दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में उल्लिखित कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 22 मार्च, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 20/2019/बी-2-665(1)/दस-2019-244(द्वितीय)/2019, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
11 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
13 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।